अध्याय छः

मुद्रा-स्थिति और ऋण-नीति

6.1 मुद्रा और ऋण नीति के क्षेत्र में चालू वर्ष की विशेषताएं यह रहीं कि देश में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कम हुई, ब्याज की दरें बढ़ीं और बैंकों द्वारा ऋण देने की मात्रा पर अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण लगाया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ने से रोकने में सहायता मिली। हालांकि कीमतों में वृद्धि की दर और मुद्रा पूर्ति की वृद्धि की दर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी 1974-75 में अब तक जो मुद्रा संबंधी अधिक कड़े नियंत्रण लागू किये गये उनसे अर्थव्यवस्था में काम कर रही स्फीतिकारी शक्तियों की ताकत कम करने में सहायता मिली है।

6.2 मुद्रा-पूर्ति में चोथी आयोजना की अवधि में भारी वृद्धि हुई। 1971-72 के बाद वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर के बीच का अन्तर काफी बढ़ गया। 1967-68 और 1968-69 के दो वर्षों में मुद्रा पूर्ति में 8.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई और 1969-70 में 10.8 प्रतिशत और 1970-71 में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1971-72 में मुद्रा पूर्ति में 13.1 प्रतिशत की बढ़ती के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर, जो 1970-71 में 4.9 प्रतिशत थी, घट कर 1971-72 में 1.4 प्रतिशत रह गयी। 1972-73 में मुद्रा पूर्ति में 15.9 प्रतिशत की और वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर कुछ भी न थी। 1973-74 में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर 15.3 प्रतिशत ही रही लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर में मामूली-सी अर्थात् 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1974-75 में अब तक, 31 मार्च से 17 जनवरी, 1975 तक की अवधि में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर 4.3 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर में प्रकट रूप में कमी का पता चलता है, हालांकि चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था में इसके साथ साथ लगभग कोई वृद्धि होने की आशा नहीं है। मुद्रा संबंधी साधनों में, जिनमें जनता के पास मुद्रा पूर्ति और बैंकों में मीयादी-जमा शामिल हैं, वृद्धि की दर की गति भी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर की गति के समान रही है; चालू वित्तीय वर्ष में 17 जनवरी, 1975 तक कुल मुद्रा साधनों में 8.6 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

6.3 1961-62 से, कुल मुद्रा पूर्ति में करेंसी का अनुपात कम होता जा रहा है। जनता के पास मुद्रा पूर्ति और करेंसी के बीच का अनुपात जो 1961-62 के अन्त में 72.2 प्रतिशत था, 1968-69 से 1970-71 तक तीन वर्षों में 62.1 प्रतिशत के औसत स्तर पर आ गया और 1971-72 से 1973-74 तक के बाद के तीन वर्षों में और घट कर 58.5 प्रतिशत के औसत स्तर पर पहुंच गया। मुद्रा-पूर्ति और करेंसी के बीच का अनुपात घट कर 17 जनवरी, 1975 को 55.7 प्रतिशत रह गया, इसकी तुलना में एक वर्ष पहले यह 58.0 प्रतिशत था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10 जनवरी, 1975 तक जनता के पास करेंसी में 34 करोड़ रुपये (0.5 प्रतिशत) की निवल कमी हुई है जबकि इसके विपरीत इससे पहले के वर्ष की इसी अवधि में 518 करोड़ रुपये (9.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा पूर्ति और करेंसी के बीच के अनुपात में उत्तरोत्तर कमी होने के परिणाम-स्वरूप मुद्रा के गुणक के मूल्य में वृद्धि हुई है और इससे उन विस्तार-कारी शक्तियों के बल में वृद्धि हुई है जो घाटे की वित्त-व्यवस्था के किसी निर्धारित स्तर से संबंधित होती हैं।

सारणी 6.1

मुद्रा पूर्ति और मुद्रा संबंधी साधनों में वृद्धि

वर्ष	जनता के पास उपलब्ध मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि		मुद्रा संबंधी साधनों में वृद्धि		मुद्रा-पूर्ति के प्रतिशत के रूप में करेंसी
	करोड़ रुपये	प्रतिशत	करोड़ रुपये	प्रतिशत	
1961-62 . .	188	6.6	295	7.4	72.2
1968-69 . .	437	8.1	854	11.4	63.1
1969-70 . .	632	10.8	1035	12.4	62.1
1970-71 . .	723	11.2	1244	13.2	61.0
1971-72 . .	945	13.1	1665	15.6	59.3
1972-73 . .	1291	15.9	2178	17.7	57.9
1973-74 . .	1446	15.3	2506	17.3	58.4
1974-75 . . (17 जनवरी, 1975 तक)	468	4.3	1464	8.6	55.7
1973-74 . . (18 जनवरी, 1974 तक)	887	9.4	2017	13.9	58.0

मुद्रा-पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व

6.4 1971-72 और 1972-73 में मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि का मुख्य कारण सरकार को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निवल ऋण में वृद्धि होना था। 1973-74 में मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में 22.0 प्रतिशत वृद्धि होना था, हालांकि बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी-मुद्रा परिसम्पत्ति में और सरकार को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निवल ऋण में भी काफी वृद्धि हुई थी। 1974-

जनता के पास उपलब्ध मुद्रा और मुद्रा-साधन

(अन्तिम शुक्रवार को)

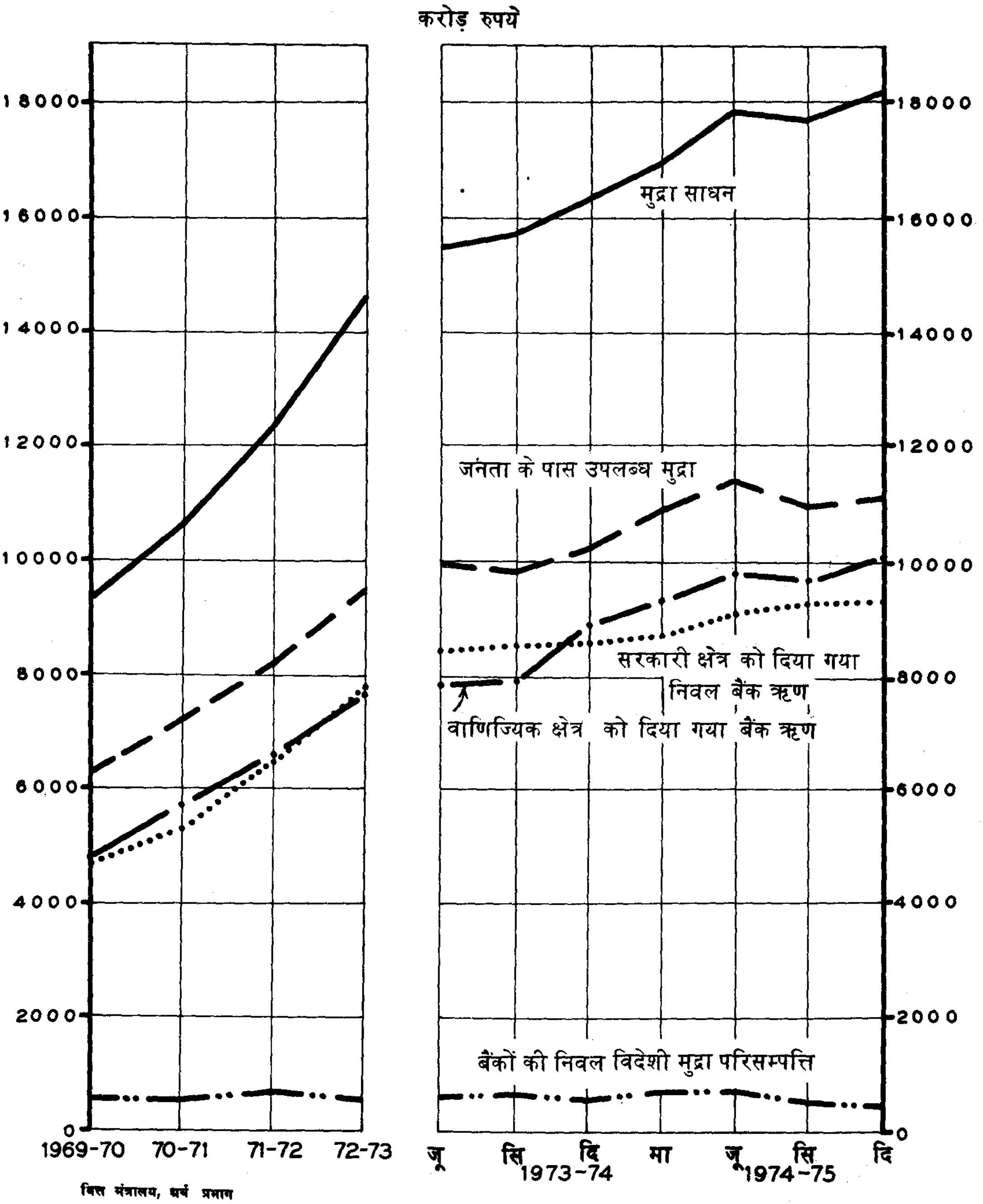

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

MCIPND-PLW-323/5/Fin/74-75-chart 7

75 में अब तक (अर्थात् 17 जनवरी, 1975 तक) मुख्यतः बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की गति के धीमे होने से मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि की दर में कमी होनी संभव हुई है। बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले निवल ऋण में वृद्धि की दर के धीमा होने के कारण भी चालू वर्ष में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर को कम रखने में सहायता मिली है।

6.5 मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि की गति में हाल में जो कमी हुई है उसका एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में भारी कमी हुई है। इस मुद्रा में से करेंसी की मात्रा में, जो जनता के पास रुपया-नोटों, रुपया-सिक्कों और छोटे सिक्कों के रूप में होती है और करेंसी के रूप में सरकार की देनदारी होती है, 1974-75 में अब तक पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई है। लेकिन मुद्रा-भिन्न देनदारियों में, जिनमें बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा भी शामिल है, कमी होने का संकुचनकारी प्रभाव चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कम था।

6.6 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार (केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों) को दिये जाने वाले निवल ऋण में चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च 1974 से 17 जनवरी, 1975 तक) में 627 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि इसकी तुलना में इससे पहले के वर्ष की इसी अवधि में 821 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक (17 जनवरी, 1975 तक) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये जाने वाले निवल ऋण में 617 करोड़ रुपये की और राज्य सरकारों को दिये जाने वाले निवल ऋण में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्ध में क्रमशः 754 करोड़ रुपये और 67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। बजट-व्यय पर लगी पाबन्दी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले निवल ऋण में वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले निवल ऋण में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण छठे वित्त आयोग के फैसले के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अधिक धन दिया जाना और राज्यों द्वारा अधिक साधन जुटाया जाना है।

6.7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि किये जाने से, जिसका ब्यौरा इस अध्याय में बाद में दिया गया है, सरकारी प्रतिभूतियों में (राजकोष हुंडियों सहित) लगी पूंजी के रूप में सरकार को अनुसूचित बैंकों के ऋण में चालू वित्तीय वर्ष में 17 जनवरी 1975 तक 438 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 210 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की दर में कुल मिलाकर जो कमी हुई है वह पूर्णतः सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की दर में कमी होने के कारण हुई है।

6.8 1974-75 के वित्तीय वर्ष में 17 जनवरी, 1975 तक वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले बैंक ऋण में 915 करोड़ रुपये अथवा 9.8 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है वह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 1362 करोड़ रुपये या 17.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी कम है। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में, जुलाई, 1974 तक अपेक्षाकृत अधिक ऊंची दर से वृद्धि हो रही थी; 1974-75 के पहले चार महीनों (अप्रेल से जुलाई तक) में 563 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जबकि इसकी तुलना में 1973-74 के इन्हीं महीनों में 69 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। जुलाई 1974 में जो ऋण नियंत्रण के कई एक उपाय किये गये थे—जिनकी चर्चा बाद में की गयी है—उनके परिणामस्वरूप जुलाई, 1974 के अन्तिम शुक्रवार से 17 जनवरी, 1975 तक की अवधि में वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक ऋण में 352 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में इसके पहले के वर्ष में 1293 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। 1974-75 के दौरान अब तक, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की दर में कमी होने का एक महत्वपूर्ण कारण, जुलाई, 1974 के बाद नयी हुंडी बाजार योजना के अन्तर्गत भुनायी गयी हुंडियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण में भारी कमी का होना है। जुलाई, 1974 से अन्य बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की दर में भी कमी हुई है।

बैंक-ऋण में मौसमी घट-बढ़

6.9 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में 1109 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिसमें 188 करोड़ रुपये अनाज खरीदने के लिए दिये जाने वाले ऋण के और 921 करोड़ रुपये दूसरे कामों के लिये दिये जाने वाले ऋणों के हैं। इसके अलावा नयी हुंडी बाजार योजना के अन्तर्गत भुनायी गयी हुंडियों की राशि में भी 244 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत 1972-73 के अधिक कामकाज के दिनों में केवल 19 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में सकल ऋण (भुनायी गयी हुंडियों सहित) में 1353 करोड़ रुपये (20.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1972–73 के अधिक कामकाज के दिनों में 916 करोड़ रुपये (17.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि कम होकर 670 करोड़ रुपये (6.9 प्रतिशत) रह गयी जबकि 1972-73 के अधिक कामकाज के दिनों में यह राशि 811 करोड़ रुपये (10.2 प्रतिशत) थी। 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में विशेष रूप से मीयादी जमा में बहुत कम अर्थात् 266 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1972-73 के अधिक कामकाज के दिनों में 476 करोड़ रुपये (10.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। विशेष रूप से अधिक कामकाज के दिनों के उत्तरार्ध में अर्थात् जनवरी, 1974 के बाद से बैंक ऋण में वृद्धि की दर के बढ़ जाने और बैंक जमा में वृद्धि की दर के कम हो जाने और इसके साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों की पूंजी में वृद्धि हो जाने से 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋण में भारी वृद्धि (253 करोड़ रुपये) हुई और भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकों की नकद जमा में 217 करोड़ रुपये की कमी हुई।

6.10 इस प्रकार 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नकदी की रकम में कमी आ गयी जिसके कारण थे: बैंक-जमा में वृद्धि की धीमी गति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये मुद्रा-संबंधी उपाय, जिनके अन्तर्गत बैंकों से यह कहा गया कि वे रिजर्व बैंक में अधिक रकम जमा रखें और सरकारी तथा दूसरी तरह की अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक धन लगायें, देश विदेश में कीमतों

में वृद्धि, ऊर्जा संकट और प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों से ऋण की अधिक मांग, निर्यात करने के लिए ऋण और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की आवश्यकताओं के कारण बैंक ऋण की मांग में बढ़ोतरी।

6.11 बैंक-ऋण में वृद्धि 1974 के कम कामकाज के दिनों (मई से जुलाई) के पूर्वार्ध में जारी रही और यह वृद्धि 240 करोड़ रुपये की हुई जबकि इसकी तुलना में 1974 के कम कामकाज के मौसम की इसी अवधि में 117 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस अवधि में अन्न की खरीद के लिए दिये जाने वाले ऋणों में कम अर्थात् 58 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1973 की इसी अवधि में 98 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। लेकिन 1974 के कम कामकाज के मौसम के पूर्वार्ध में भुनायी जाने वाली हुंडियों की राशि में 35 करोड़ रुपये की कमी हुई, जबकि 1973 के कम कामकाज के दिनों की इसी अवधि में 10 करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

6.12 जुलाई, 1974 में ऋण पर रोक लगाने के जो उपाय किये गये थे उनके परिणामस्वरूप 1974 के कम कामकाज के उत्तरार्ध में, अर्थात् जुलाई और अक्तूबर, 1974 के अन्तिम सप्ताहों के बीच की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में निरपेक्ष रूप से 147 करोड़ रुपये की कमी हुई जबकि इससे विपरीत पिछले वर्ष की इसी अवधि में 229 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। अनाज खरीदने के लिए दिये जाने वाले ऋणों में 1974 के कम कामकाज वाले मौसम के उत्तरार्ध में 227 करोड़ रुपये की कमी हुई जबकि इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में अपेक्षाकृत कम अर्थात् 156 करोड़ रुपये की कमी हुई थी। भुनायी जाने वाली हुंडियों की राशि में भी 136 करोड़ रुपये की कमी हुई जबकि 1973 में इसी अवधि में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

6.13 इस प्रकार, 1974 के कम कामकाज के मौसम में कुल मिलाकर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले सकल बैंक ऋण में 78 करोड़ रुपये की कमी हुई (जिसमें भुनायी गयी हुंडियों की राशि में हुई 171 करोड़ रुपये की कमी शामिल है), जबकि 1973 में इसी अवधि में क्रमशः 361 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। अनाज खरीदने के लिए दिये जाने वाले ऋणों में 1974 के कम कामकाज वाले मौसम में 169 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय कमी हुई जबकि इसकी तुलना में 1973 में इन्हीं दिनों 58 करोड़ रुपये की कमी हुई थी। सकल बैंक ऋण में, जिसमें भुनायी जाने वाली हुंडियां भी शामिल हैं लेकिन अनाज खरीदने के लिए दिये गये ऋण शामिल नहीं हैं, 1974 के कम कामकाज वाले मौसम में 91 करोड़ रुपय की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1973 में इन्हीं दिनों में 419 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

6.14 बैंक-जमा में वृद्धि की दर में 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में कमी होनी शुरू हो गयी थी और वह 1974 के कम कामकाज के दिनों में भी जारी रही। 1974 के कम कामकाज के दिनों में जमा की राशि में कुल मिलाकर 880 करोड़ रुपये अथवा 8.5 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वह 1973 के कम कामकाज के दिनों में बैंक-जमा में हुई 899 करोड़ रुपये अथवा 10.3 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा कम थी। मीयादी जमा में वृद्धि की दर, जो 1973 के कम कामकाज के दिनों में 12.9 प्रतिशत थी वह काफी घटकर 1974 के कम कामकाज के दिनों में 9.5 प्रतिशत पर आ गयी; 1974 के कम कामकाज वाले मौसम में मांग-जमा में वृद्धि की दर 7.2 प्रतिशत थी जोकि 1973 के कम कामकाज के दिनों में वृद्धि की 6.7 प्रतिशत की दर की अपेक्षा ऊंची थी।

6.15 1 अप्रैल, 1974 से बचत-जमा और मीयादी जमा की ब्याज दरों में सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त जुलाई, 1974 के अन्त में मीयादी-जमा की ब्याज दरों में वृद्धि करने पर भी कुल जमा में वृद्धि की दर नहीं बढ़ी हालांकि जुलाई 1974 के बाद मांग-जमा की अपेक्षा मीयादी जमा में विशेष रूप से अधिक वृद्धि होने लगी। 1974 के कम कामकाज वाले मौसम के उत्तरार्ध में मीयादी जमा में 292 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि मांग-जमा में 2 करोड़ रुपये की कमी हो गयी।

6.16 अधिक कामकाज के चालू मौसम में अब तक (25 अक्तूबर, 1974 से 17 जनवरी, 1975 तक) अनुसूचित बैंक-ऋण में 372 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 518 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। अनाज खरीदने के लिए दिये जाने वाले ऋण में 37 करोड़ रुपये की कमी हुई है जबकि अधिक कामकाज के पिछले मौसम की इसी अवधि में 136 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार अधिक कामकाज के चालू मौसम में 17 जनवरी, 1975 तक अन्न के लिए दिये गये ऋण से भिन्न ऋणों में 409 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 382 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। दिसम्बर, 1974 के मध्य से बैंक-ऋण में वृद्धि की दर में तेजी आयी है। यदि यह वृद्धि जारी रही तो बैंकों द्वारा अनाज के लिए दिये जाने वाले ऋण से भिन्न ऋण में जो वृद्धि होगी वह पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के मौसम में हुई असाधारण वृद्धि से भी अधिक हो जायगी। इसलिए स्थिति पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।

6.17 अक्तूबर, 1974 के अन्त से 17 जनवरी, 1975 तक की अवधि में बैंक-जमा में 411 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है वह अधिक कामकाज के पिछले मौसम की इसी अवधि में हुई 422 करोड़ रुपये की वृद्धि के लगभग बराबर है। दिसम्बर, 1974 के तीसरे सप्ताह से, जमा में होने वाली वृद्धि की दर सामान्यतः बढ़ गयी है।

6.18 चालू वित्तीय वर्ष के शुरू होने से लेकर 17 जनवरी, 1975 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा-राशि में 1446 करोड़ रुपये अथवा 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1480 करोड़ रुपये अथवा 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जुलाई, 1974 में मीयादी जमा की ब्याज-दरों में वृद्धि किये जाने से जमाकर्ता रकम जमा करने में मीयादी जमा खाते को कुछ हद तक अधिक तरजीह देने लगे हैं। यह भी लगता है कि कम्पनियों में जमा करायी जाने वाली रकमों पर अधिक ब्याज-दरें मिलने से कुछ जमाकर्ता बैंकों के स्थान पर कम्पनियों में रकमें जमा कराने लगे हैं।

6.19 अधिक कामकाज के चालू मौसम (25 अक्तूबर, 1974 से 17 जनवरी, 1975 तक) में मुद्रा पूर्ति में 320 करोड़ रुपये (2.9 प्रतिशत) की जो वृद्धि हुई है वह अधिक कामकाज के पिछले मौसम की इसी अवधि में हुई 387 करोड़ रुपये (3.9 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में कम है। 17 जनवरी, 1975 तक वाणिज्यिक क्षेत्र को

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(चुनी हुई मदें)

(अन्तिम शुक्रवार को)

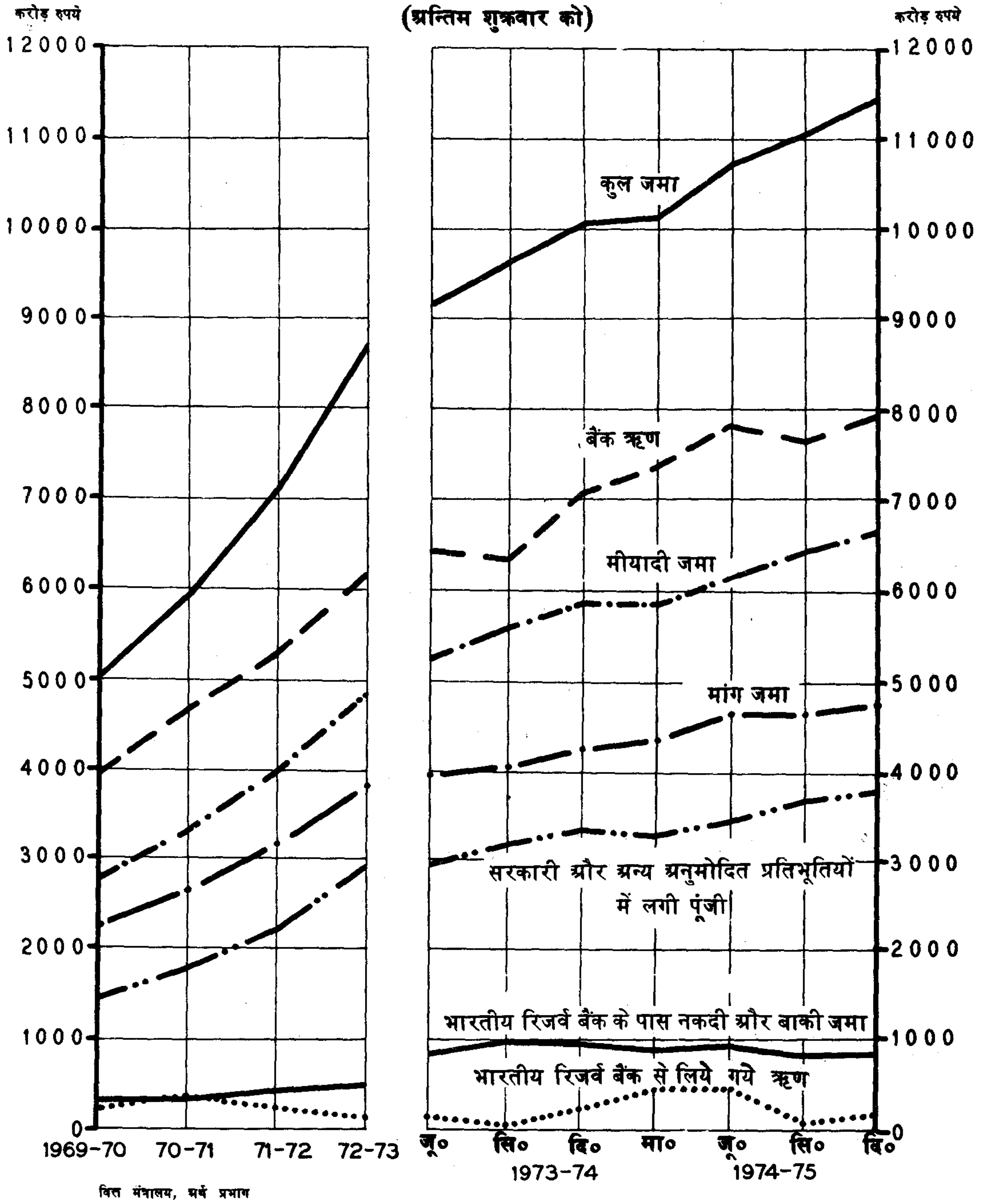

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

MGIPND-PLW-323/5/Fin/74-75-chart 8

बैंकों द्वारा 538 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया जबकि इसकी तुलना में अधिक कामकाज के पिछले मौसम की इसी अवधि में 845 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। सरकार को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निवल ऋण में, 25 अक्टूबर, 1974 से 17 जनवरी, 1975 तक की अवधि में 260 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि अधिक कामकाज के पिछले मौसम की इसी अवधि में केवल 43 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। अधिक कामकाज के चालू मौसम में बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति में कमी का संकुचनकारी प्रभाव बढ़ कर 204 करोड़ रुपये का हो गया है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 76 करोड़ रुपये का था।

सारणी 6·2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में मौसमी घट-बढ़ के आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

	कम कामकाज के दिन			अधिक कामकाज के दिन				
	1972	1973	1974	1971-72	1972-73	1973-74	1973-74 (26 अक्टूबर से 18 जनवरी तक)	1974-75 (25 अक्टूबर से 17 जनवरी तक)
1. बैंक ऋण जिसमें से :	67	346	93	355	897	1109	518	372
(क) अनाज खरीदने के लिए ऋण	−1	—58	—169	—71	6	188	36	—37
(ख) अन्य ऋण	68	404	262	426	891	921	382	409
2. नयी हुंडी बाजार योजना के अन्तर्गत भुनायी गयी हुंडियां	−10	15	—171	−3	19	244	107	60
3. कुल जमा	705	899	880	624	811	670	422	411
(क) मांग जमा	262	252	316	310	335	404	195	144
(ख) मीयादी जमा	433	647	564	314	476	266	227	267
4. भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋण	−16	56	—270	4	17	253	211	16
5. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	30	419	92	14	40	—217	38	—92
6. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगी पूंजी	620	282	439	239	4	157	109	89
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	519	187	326	144	—89	73	35	47
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	101	95	113	95	93	84	74	42
7. ऋण जमा अनुपात (अवधि के अन्त में)	66.2	67.3	68.8	71.7	70.3	73.7	69.7	69.5
8. निवेश-जमा अनुपात (अवधि के अन्त में)	36.3	32.9	33.6	31.3	33.0	32.2	32.6	33.2

6.20 17 जनवरी, 1975 को बैंकों का निवेश-जमा अनुपात 33.2 प्रतिशत था जो कि एक वर्ष पहले 32.6 प्रतिशत के अनुपात से 0.6 प्रतिशत अंक ऊंचा है। 17 जनवरी, 1975 को ऋण-जमा अनुपात 69.5 प्रतिशत था जो एक वर्ष पहले के 69.7 प्रतिशत अनुपात से कुछ कम था। इससे बैंकों की नकदी संबंधी स्थिति में अब तक जो मामूली सुधार हुआ है उसका पता चलता है।

6.21 10 जुलाई, 1974 के बाद मुद्रा-बाजार की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है। बम्बई के काल-मनी-रेट में जो 14 दिसम्बर, 1973 से 10 जुलाई, 1974 तक 15 प्रतिशत तक के उच्चतम स्तर तक बना रहा था, बाद में काफी घट-बढ़ हुई। यह दर, 13 सितम्बर, 1974 को और उसके बाद 8 नवम्बर, 1974 तथा 8 दिसम्बर, 1974 को 10 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गयी और बीच-बीच में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक, जो 14 दिसम्बर, 1973 के अन्तर्बैंक समझौते के अंतर्गत उच्चतम सीमा है, घटती-बढ़ती रही। अक्टूबर, 1974 से लेकर काल-मनी-रेट पिछले वर्ष की तुलना में सामान्यतः ऊंचा रहा लेकिन 1974-75 के अधिक कामकाज के मौसम के पहले महीने अर्थात नवम्बर के पहले सप्ताह में यह रेट पिछले वर्ष के इस सप्ताह की तुलना में 2-3 प्रतिशत कम था। किन्तु जब दिसम्बर 1974 के मध्य में अधिक कामकाज के मौसम ने जोर पकड़ा, तो 16 दिसम्बर, 1974 और 3 जनवरी, 1975 के बीच की अवधि में यह दर 15 प्रतिशत की अधिकतम अनुमत सीमा पर बनी रही।

ऋण नीति सम्बन्धी गतिविधियां

6.22 जैसा कि पिछले वर्ष की 'आर्थिक समीक्षा' में बताया गया था, 1973-74 में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी करने के लिए कई उपाय किये गये थे। इनमें ये शामिल थे: सांविधिक और निवल नकदी अनुपात में वृद्धि और रिजर्व बैंक में सांविधिक रूप से रखी जाने वाली नकद प्रारक्षित निधि में वृद्धि। इसके अलावा ऋण के ब्याज की दरों में वृद्धि की गयी। 1973-74 के अधिक काम-काज

के दिनों में पहली बार अधिकतम ऋण देने की सीमा निर्धारित करने की कोशिश की गयी। लेकिन ऊर्जा संकट और उसके परिणामस्वरूप तेल कम्पनियों की मांग, निर्यात तथा अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बढ़ी हुई जरूरतों जैसी घटनाओं के सन्दर्भ में, ऋण की उच्चतम सीमा का पालन करने का प्रयत्न करने से अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

6.23 इस बात को देखते हुए कि अधिक कामकाज के पिछले मौसम में जमा खाते में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई थी और बैंक-ऋण और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की दर को कम करने की आवश्यकता है, रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया कि 1974-75 के कम कामकाज के मौसम में बैंकों को चाहिए कि वे जमा खाते में होने वाली वृद्धि के 33 से 35 प्रतिशत तक ही ऋण दें। चूंकि 2 प्रतिशत अतिरिक्त नकद प्रारक्षित निधि रखने की आवश्यक शर्त की अवधि, जो जून, 1973 को लागू की गयी थी, 28 जून 1974 को समाप्त हो गयी थी, इसलिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत रखी जाने वाली न्यूनतम सांविधिक नकदी के अनुपात को 1 जुलाई, 1974 से कुल मांग और मीयादी देनदारियों के 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया लेकिन सितम्बर, 1973 में अन्य 2 प्रतिशत सांविधिक नकद प्रारक्षित राशि रखने की जो शर्त एक वर्ष के लिए लागू की गयी थी, उसका सितम्बर 1974 में नवीकरण कर दिया गया। 1974-75 के अधिक कामकाज के मौसम में ज्यादा से ज्यादा ऋण देने की आयोजना को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए, बैंकों को यह निदेश भी दिया गया कि वे अपने क्रियाकलापों का आयोजन करते समय वर्ष भर के लिए अधिकतम ऋण देना अपनी जमा में वृद्धि के 63 से 65 प्रतिशत तक सीमित रखें जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 1975 के अन्त में ऋण-जमा अनुपात लगभग 71 प्रतिशत हो जाय जबकि इसकी तुलना में अप्रैल, 1974 के अन्त में ऋण-जमा अनुपात 73.7 प्रतिशत था। ऋण पूरा करने के लिए बैंकों को ऋण देने के बारे में यद्यपि रिज़र्व बैंक की स्वेच्छा पर बल दिया जाता रहा, फिर भी बैंकों को यह निदेश दिया गया कि वे हुण्डियां भुनाने की स्वीकृत रकम को कम कामकाज के मौसम के अन्त तक अप्रैल, 1974 के स्तर के 40 प्रतिशत तक नीचे उतार लायें। इस निदेश के अनुसार भुनायी जाने वाली हुण्डियों की रकम को जो अप्रैल, 1974 के अन्त में 279 करोड़ रुपये तक थी, कम करके अक्टूबर, 1974 तक 100-110 करोड़ रुपये तक लाया जाना था। इसके अतिरिक्त, ब्याज-दरों के ढांचे को और युक्तियुक्त बनाने के लिए निर्यात करने के लिए दिये जाने वाले ऋण के ब्याज की अधिकतम दर आस्थगित अदायगी वाले निर्यात से भिन्न निर्यात के मामले में 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी और आस्थगित अदायगी वाले निर्यात के मामले में 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गयी। अनाज खरीदने के लिए दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की दर भी 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी।

6.24 1974 के कम कामकाज वाले मौसम से सम्बन्धित नीति निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफल रही। ऋण-जमा अनुपात जो कम कामकाज वाले मौसम में बढ़ जाता है, 11 प्रतिशत तक रह गया जिसका आंशिक कारण अनाज के खरीदने के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों में भारी कमी हो जाना था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी रिज़र्व बैंक से 270 करोड़ रुपये कम ऋण लिये गये और कम कामकाज वाले मौसम के अन्त तक केवल 108 करोड़ रुपयों की हुण्डियां भुनायी गयीं लेकिन लक्ष्य से भी अधिक सफलता मिलने का आंशिक कारण, 22 जुलाई, 1974 को किये गये मुद्रा-विषयक कई एक उपाय थे, जिनका उद्देश्य ऋण की लागत में भारी वृद्धि करना था।

6.25 बैंकों में जमा रकमों पर ब्याज की दरों में 1 अप्रैल, 1974 से जमा के विभिन्न खातों के अनुसार 0.25 प्रतिशत अंक से लेकर 1 प्रतिशत, अंक की वृद्धि की गयी। बचत जमा खाते के मामले में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि की गयी। इसके साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी अतिरिक्त जमा की रकम पर रिज़र्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर को 4.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया। 22 जुलाई, 1974 को जब रिज़र्व बैंक ने दर को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया जो कि अब तक की सबसे ऊंची दर थी तब बैंकों द्वारा ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दर को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर, जो कि 1 दिसम्बर, 1973 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर इस स्तर पर लायी गयी थी, 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। निर्यात ऋण पर ब्याज की रियायती दर को एकमुश्त ऋण के मामले में 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर दिया गया, अनाज खरीदने के लिए दिये जाने वाले ऋण के ब्याज की दर को भारतीय खाद्य निगम के मामले में 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत और राज्य सरकारों या राज्य सरकारों की एजेंसियों के मामले में 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के आधार पर दिये जाने वाले ऋण के ब्याज की न्यूनतम दरों में भी 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर दी गयी। 31 जुलाई, 1974 को प्रस्तुत किये गये पूरक बजट में, अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर अर्जित सकल ब्याज पर 7 प्रतिशत की दर से कर लगा दिया गया जिससे बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों में एक प्रतिशत तक वृद्धि हो जायेगी। इसके साथ साथ वाणिज्यिक बैंकों में मीयादी जमा पर ब्याज की दरें भी बढ़ा दी गयीं; जिसके परिणामस्वरूप 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमा रकमों पर देय ब्याज की अधिकतम दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी।

6.26 1 अगस्त, 1974 से, भारतीय खाद्य निगम को अनाज खरीदने के लिए दिये जानेवाले ऋण के ब्याज की दर में और वृद्धि करके उसे 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद 25 सितम्बर, 1974 से निर्यात के लिए एकमुश्त ऋण के ब्याज की अधिकतम दर 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत और आस्थगित अदायगी ऋण पर इसकी अधिकतम दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गयी।

6.27 29 अक्टूबर, 1974 को रिज़र्व बैंक ने 1974-75 के अधिक कामकाज के मौसम के लिए ऋण नीति की घोषणा की। इस नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऋण देने पर पाबन्दी लगी रहनी चाहिए और इसके साथ-साथ लगातार पूंजी लगाते रहने, उत्पादन बढ़ाने और अत्यावश्यक वस्तुओं के अधिक अच्छे वितरण के लिए पहले से अधिक चयनात्मक आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए। इस दिशा में ऋण देने के लिए जो प्राथमिकता-क्रम बताया गया वह इस प्रकार है: कृषि, निर्यात, छोटे पैमाने के उद्योग, विशेष रूप से वे उद्योग जो 'अति महत्वपूर्ण' क्षेत्र और रोजाना इस्तेमाल की बुनियादी वस्तुओं के उद्योगों में काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सरकारी क्षेत्र में

मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट और गैर-सरकारी क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण उद्योग खासकर वे उद्योग जो उर्वरक, कीटनाशक औषधियां और कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वे उद्योग जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं (जैसे कन्ट्रोल की किस्मों का कपड़ा, खाद्य तेल और चीनी) । रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंकों द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम सांविधिक रकमों की मात्रा को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया जिससे यह बैंक अधिक कामकाज के मौसम में ऋण की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । तदनुसार 14 दिसम्बर, 1974 से 0.5 प्रतिशत और 28 दिसम्बर 1974 से 0.5 प्रतिशत की और कमी की गयी । इससे बैंकों को दिसम्बर, 1974 के अन्त तक ऋण देने योग्य लगभग 120 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो गये । न्यूनतम निवल नकदी अनुपात को 28 दिसम्बर, 1974 से 40 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया, पुनर्वित्त की व्यवस्था के लिए ब्याज की अधिकतम दर 18 प्रतिशत बनी रही । बैंकों द्वारा ऋण की रकम को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक दर पर मिलने वाली ऋण की रकम, 27 सितम्बर, 1974 तक की बैंकों की मांग और मीयादी देनदारियों के एक प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी । इसके अलावा, अनाज की खरीद के लिए दिये जाने वाले ऋण की कुल रकम जब 300 करोड़ रुपये से बढ़ जायगी तो प्रत्येक बैंक-विशेष द्वारा निर्धारित रकम से अधिक दी गयी राशि के 50 प्रतिशत के बराबर ऋण की रकम को रिजर्व बैंक से ऋण लेकर पूरा किया जायगा । जब अनाज की सरकारी खरीद का स्तर कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपये से बढ़ जायगा तो बढ़ी हुई रकम की पुनर्वित्तव्यवस्था की जायगी । इस रकम से ज्यादा ऋण देना पूरी तरह से रिजर्व बैंक की इच्छा पर निर्भर रहेगा ।

6.28 अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबाव का जोर लगातार बने रहने के कारण, 1974-75 के अधिक कामकाज के दिनों की ऋण नीति में उन वस्तुओं पर जिनकी सट्टेबाजी किये जाने की संभावना होती है, चयनात्मक ऋण नियंत्रण जारी रखने की परिकल्पना की गयी है । इसके अलावा, जैसा कि अब तक रहा है, बैंकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे मुलतानी हुंडियों की वित्त-व्यवस्था और अन्य ऐसे वित्तीय लेन-देन कम करें । लेकिन चूंकि बहुत सी कृषि वस्तुओं के व्यापार की वित्त व्यवस्था करने में बैंक ऋण की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ऐसी चीजों की कीमतों को स्थिर रखने में चयनात्मक ऋण नियंत्रण का प्रभाव अधिक से अधिक मामूली ही हो सकता है ।

6.29 वाणिज्यिक क्षेत्र को धन देने के एक अतिरिक्त साधन की व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1970 में एक नयी हुंडी बाजार योजना शुरू की थी । चूंकि 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों तक उद्योगों को ऋण की कोई कमी महसूस नहीं हुई थी, इसलिए हुंडी बाजार योजना का व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया था । लेकिन जब 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में अधिक कड़ी ऋण सीमाएं लागू की गयीं तो नयी हुंडी बाजार योजना के अन्तर्गत तत्काल अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया जा सका । 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में रिजर्व बैंक द्वारा भुनाई गयी हुंडियों में 244 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । ऋण नियंत्रण को और अधिक बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने 1974 के कम कामकाज के दिनों के लिए अपनी ऋण नीति के एक अंश के रूप में ऋण नियंत्रण को और कड़ा करने के उपाय के तौर पर, बैंकों से कहा कि वे हुंडियां भुनाने की स्वीकृत सीमाओं को अक्टूबर, 1974 के अन्त तक अप्रैल, 1974 के स्तर के 40 प्रतिशत के बराबर ले आयें । 18 जून, 1974 से आहर्ताओं द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में प्रस्तुत हुंडियों के भुनाने की न्यूनतम दर को 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया किन्तु आदेशकों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हुंडियां भुनाने की दर 9.5 प्रतिशत ही रही । यह तय किया गया था कि आहर्ताओं की हुंडियों के ब्याज की दर उनको ही दिये गये नकद ऋण के ब्याज की दर के बराबर होनी चाहिए । यह इसलिए किया गया था कि खरीदार इनवेंटरी के सामान की खरीद के लिए नकद ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत मिलने वाले ऋण की अपेक्षा सस्ता ऋण न प्राप्त कर सकें । जब जुलाई, 1974 में ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत की गयी थी तो आहर्ता और आदेशकों की हुंडियों के ब्याज की दर बढ़ा कर क्रमशः 12.5 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत कर दी गयी थी । कम कामकाज के दिनों में हुंडी बाजार योजना के अन्तर्गत काफी सन्तोषप्रद तरीके से ऋण की रकम वापस मिलती रही ।

6.30 नयी हुंडी बाजार योजना के अन्तर्गत हुंडियों के बदले बैंकों द्वारा धन प्रदान करने की व्यवस्था बैंकों के सामान्य नकद ऋण से बेहतर है क्योंकि इस व्यवस्था में दिया जाने वाला ऋण थोड़ी अवधि के लिए होता है और इस व्यवस्था का संचालन रिजर्व बैंक की अच्छी देखभाल के अधीन होता है । नयी हुंडी बाजार योजना का उद्देश्य बैंकिंग को प्रणाली में नकदी में सन्तुलन पैदा कर मुद्रा-बाजार को नरम बनाना है । इस प्रकार अधिक कामकाज के चालू मौसम के लिए, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि ऋण के उपयोग को नियमित करने के लिए नकद ऋण की अपेक्षा हुंडियों की व्यवस्था के लाभ को ध्यान में रखते हुए पुनर्वित्त द्वारा सहायता देने के बजाय नयी हुंडी बाजार योजना के माध्यम से रिजर्व बैंक के ऋण अधिकाधिक दिये जायेंगे । प्रत्येक बैंक को हुंडियां भुनाने का स्थायी कोटा उपलब्ध होगा जो 27 सितम्बर, 1974 तक खरीदी गयी और भुनायी गयी देशी हुंडियों के 10 प्रतिशत के बराबर होगा । यह सहायता जो सौ करोड़ रुपये के बराबर होगी, बैंकों को बैंक-दर पर दी जायगी । इसके अलावा रकम, रिजर्व बैंक की इच्छानुसार 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की फिर से भुनाने की दर पर दी जायगी ।

6.31 नवम्बर, 1965 से रिजर्व बैंक ऋण अनुमोदन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा बड़े ऋणकर्त्ताओं को दिये जाने वाले नकद ऋण और अन्य सुविधाओं की निगरानी रखता आ रहा है । इस योजना में जुलाई, 1974 में निर्यात के लिए एकमुश्त ऋण देना शामिल कर लिया गया । लेकिन ऋण अनुमोदन योजना का उद्देश्य उच्चतम स्तर पर ऋणकर्त्ताओं की जरूरतों के बराबर के ऋण की मंजूरी देना है और तात्कालिक जरूरतों के संबंध में वस्तुतः ली गयी रकम की निगरानी बैंकों की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के जरिए की जाती है । अधिक बड़े खातों पर अधिक निगरानी रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जुलाई, 1974 में प्रत्येक बैंक को निर्देश दिया कि वे अपने 50 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं के खातों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि ऋण का उचित उपयोग हो । बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के अन्ततः इस्तेमाल का उनके द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल भी नियुक्त किया गया है । इस अध्ययन दल की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ने 8 नवम्बर, 1974 को दस चुने हुए मुख्य उद्योगों के लिए कच्चे माल, तैयार माल और प्राप्त वस्तुओं के रूप में इनवेंटरी के सामान के आधार पर दिये जाने वाले ऋण के संबंध में मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त जारी किये जो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के मौजूदा और नये ऋणकर्त्ताओं, दोनों पर लागू होंगे । बहु वित्त-पोषण के संबंध में बैंकों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए उपाय

सुझाने के लिए नियुक्त एक अन्य अध्ययन दल की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक ने बैंकों को भागीदारी के आधार पर ऋण सुविधाएं देने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये । अगस्त 8, 1974 को जारी किये गये मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों की मुख्य बात यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में (जिसमें बिजली बोर्ड शामिल है) जहां भी ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋण की सीमा बैंक की कुल जमा के 1.5 प्रतिशत से अधिक हो वहां ऋण संयुक्त भागीदारी संघ के आधार पर दिया जाना चाहिए।

6.32 अधिक कामकाज के पिछले मौसम के विपरीत रिजर्व बैंक ने अधिक कामकाज के चालू मौसम के दौरान ऋण की मात्रा पर कोई उच्चतम सीमा नहीं निर्धारित की है । ऋण के बहुत अधिक विस्तार को रोकने और उचित रीति से इसके अन्ततः इस्तेमाल की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य की पूर्ति बैंकों के साथ विचार-विमर्श करके की जाती है जिन पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट व्यापार प्राथमिकताओं के अनुसार अलग-अलग ऋणकर्त्ताओं को ऋण देने की जिम्मेदारी है । चूंकि रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता उतनी ही स्फीतिकारी है जितनी कि घाटे की वित्त-व्यवस्था, अतः दुर्लभ बैंक ऋण का उपयोग सावधानी पूर्वक और उदारतापूर्वक किया जाना जरूरी है जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाय कि इन्वेंटरी के सामान के जरूरत से ज्यादा जमा किये जाने पर रोक लगे और आवश्यक उत्पादन की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जांय। इसके साथ यह भी जरूरी है कि ऋण-विस्तार पर नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए बैंकों द्वारा प्रत्येक ऋणकर्ता की ऋण की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। यदि ऋणकर्ता ऋण का इस्तेमाल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं करते और उधार ली गयी रकम को देर से वापस करते हैं तो ऋण-नियंत्रण का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने बड़े ऋणकर्त्ताओं पर रखी जाने वाली निगरानी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अधिक कारगर व्यवस्था की जरूरत है ।

बैंक ऋण का उपयोग

6.33 जब से वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तब से कृषि, निर्यात, छोटे उद्योग, सड़क और जल परिवहन चालकों, फुटकर और छोटे व्यापारियों, व्यावसायिक तथा आत्मनियोजित व्यक्तियों और शिक्षा जैसे प्राथमिकता वाले और उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले बैंक ऋण में काफी वृद्धि हुई है । सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों का अनुपात बढ़कर जून, 1974 में 25.7 प्रतिशत हो गया जो जून, 1969 को कुल बकाया ऋणों का 14.9 प्रतिशत था । इसी प्रकार कुल बैंक ऋण में, निर्यात के लिए दिये गये ऋण का अनुपात बढ़कर जून, 1974 में 10.3 प्रतिशत हो गया जो जून, 1969 में 6.8 प्रतिशत था । वर्ष 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में अनाज वसूली निर्यात प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्रों की अण्डरटेकिंगों को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि बैंक ऋण में हुई कुल वृद्धि का 72.1 प्रतिशत थी । शेष 27.9 प्रतिशत वृद्धि बचे हुए क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में हुई जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग और थोक व्यापार शामिल हैं । भुनायी गयी हुंडियों को मिलाकर, उक्त बचे हुए क्षेत्र को दिया गया ऋण 1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में सकल ऋण में हुई वृद्धि का 41 प्रतिशत था जबकि 1972-73 के अधिक कामकाज के मौसम में यह वृद्धि 64 प्रतिशत थी । वर्ष 1974 के कम कामकाज के दिनों में जबकि अनाज वसूली और निर्यात के लिए दिये जाने वाले बैंक ऋण में बहुत कमी हो गयी थी, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्रों की अंडरटेकिंगों को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि होती रही । वर्ष 1974 के कम कामकाज के मौसम में बचे हुए क्षेत्र को दिये जाने वाले बैंक ऋण में भी (भुनायी गयी हुंडियों को छोड़कर) 1973 के कम कामकाज के मौसम में हुई 34 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले में 121 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

सारणी 6.3

बैंक ऋण का उपयोग

(करोड़ रुपये)

	कम कामकाज का मौसम		अधिक कामकाज का मौसम	
	1973	1974	1972-73	1973-74
1. अनाज की सरकारी खरीद	—58	—169	+6	+188
2. निर्यात	+69	—86	+114	+214
3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	+155	+144	+122	+273
जिसमें से लघु उद्योग	+49	+103	+82	+161
4. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	+146	+83	+86	+125
5. अन्य क्षेत्र (गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग तथा थोक व्यापार)	+34	+121	+569	+309
6. कुल बैंक ऋण	+346	+93	+897	+1109
7. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से भुनायी गयी हुंडियां	+15	—171	+19	+244
8. सकल बैंक ऋण (6+7)	+361	—78	+916	+1353

6.34 वर्ष 1974 के कम कामकाज वाले दिनों में निर्यात ऋण में कमी का कारण लिये गये ऋणों का अधिक जल्दी से वापस किया जाना कहा गया है। लेकिन निर्यातकों से यह शिकायतें मिली हैं कि बैंक निर्यात-ऋण को उचित प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं जो आशा है कि अधिक कामकाज के चालू मौसम की नीति से दूर हो जायगी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिये जाने वाले बैंक ऋण में होने वाली वृद्धि से उत्पादन के बढ़ते हुए स्तर का पता चलता है। लेकिन कुछ हद तक, सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को दिये जाने वाले बैंक ऋण में वृद्धि इसलिए हो गयी कि उन्हें राज्य सरकारों से मिलने वाली रकमों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। सरकारी क्षेत्र को दिये जाने वाले बैंक ऋण में जो वृद्धि हुई वह उस सीमा तक, राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले ओवरड्राफ्टों के स्थान में हुई है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में लघु उद्योगों को सबसे अधिक लाभ पहुंचा है। ऋण के समुचित उपयोग की दृष्टि से यह जरूरी है कि रोजाना इस्तेमाल की बुनियादी चीजों अथवा उन चीजों को जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, बनाने वाले लघु उद्योगों और उन उद्योगों में जो अन्य वस्तुएं बनाते हैं, भेद किया जाय। क्षेत्रवार ऋण के आंकड़ों से भी इस बात का पता चलता है कि अन्य क्षेत्र को जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योग और व्यापार शामिल हैं, पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बड़े वित्तीय अनुशासन का सामना करना पड़ा। इससे स्फीतिकारी मनोवृत्ति को कमजोर करने में सहायता मिली है।

ऋण नीति, स्थायित्व और विकास

6.35 उपर्युक्त विवरण से साफ पता चलता है कि मुद्रा संबंधी प्राधिकरणों ने चालू वर्ष में बैंक ऋण में वृद्धि की दर को कम करने के लिये कृतसंकल्प होकर प्रयत्न किये हैं। इसके साथ-साथ 1974-75 में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू वित्तीय अनुशासन के कारण मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि की दर में काफी कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप लगता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग में कमी हुई है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि 1974-75 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समग्र दर के बिल्कुल कम होने की संभावना है, मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि की वर्तमान दर से यह पता चलता है कि कुल मांग और पूर्ति के बीच अभी भी असंतुलन बना हुआ है।

6.36 वर्ष के शुरू के दिनों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग ने कीमतों में तेजी से कमी करने के उपाय के रूप में वर्तमान मुद्रा-पूर्ति के लगभग 25 प्रतिशत भाग को चलन से रोक देने की एक योजना प्रस्तुत की थी। शुरू में ही चालू घरेलू आमदनियों के अप्रभावित बने रहने से, अर्थशास्त्रियों के प्रस्ताव में नकदी को कम करने का जो आशय अंतर्निहित है, उसका घरेलू खर्चों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव न पड़ता खास कर उस हालत में जब चलनहीन करेंसी नोट और बैंक जमा पिछली बचतों के रूप में हों। जहां तक व्यापारिक फर्मों का सम्बन्ध हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जमा रकमों का एक भाग चलनहीन करने से, जबकि उनकी वर्तमान देनदारियां कम न हुई हों, उनकी नकदी की रकम बहुत कम हो जाती है और इससे उन्हें अपनी इन्वेंटरी में कमी करनी पड़ती। चूंकि उनकी इन्वेंटरी का मौजूदा स्टाक उनकी सामान्य उत्पादन आवश्यकताओं से अधिक था, इन्वेंटरी में कमी करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़े बिना मूल्यों में कमी हो जाती। तथापि, इस कमी का प्रभाव प्रत्येक उद्योग पर भिन्न-भिन्न होता जो उत्पादन की तुलना में इन्वेंटरी के सामान के परिमाण पर निर्भर करता और यह यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक क्षेत्रों को इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में कमी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि उद्योगों के प्रयोग की वस्तुओं की मांग कम हो जाने से उनकी कीमतें घट जायें तो फिर यह जरूरी नहीं कि औद्योगिक उत्पादन में कमी बनी रहे। तथापि ऐसा केवल कृषि मूल के औद्योगिक माल की कीमतों के मामले में हो सकता है क्योंकि इन चीजों की कीमतें ही मांग और पूर्ति को तुरन्त प्रभावित कर सकती हैं। आयातित कच्चे माल और अन्य देशी सामान (इस्पात, सीमेंट और कोयला) की कीमतों के, जो प्रशासनिक रूप से नियंत्रित होती हैं, गिरने की कोई संभावना नहीं हैं, और इसके परिणामस्वरूप इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इन्वेंटरी के सामान में कमी के कारण उनके उत्पादन में कमी हो जायगी (अथवा उत्पादकों के पास इन्वेंटरी सामान का स्टाक जबरदस्ती जमा हो जायगा)। इस तरह, हो सकता है कि औद्योगिक क्रियाकलापों में गम्भीर अव्यवस्था का पैदा होना अपरिहार्य हो जाय। यह स्पष्ट है कि पिछले दो वर्षों में जो अत्यधिक स्फीति हुई है, उसे थोड़ी उलटफेर किये बिना ठीक नहीं किया जा सकता तथापि विपणन सम्बन्धी विभिन्न त्रुटियों और ढांचे की कठोरता को देखते हुए, नकदी में अचानक बहुत अधिक कमी हो जाने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि उद्योगों में इस्तेमाल न की जा रही क्षमता तथा बेरोजगारी में काफी वृद्धि हो जाय। इस तथ्य से कि कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के साथ नहीं जुड़ी है, यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ऋण में बिना सोचे-समझे कमी करके कीमतों में अचानक भारी कमी की जा सकती है और उसका औद्योगिक उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि पर कड़ा नियंत्रण, मूल्य वृद्धि विरोधी प्रभावकारी उपायों का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। किन्तु आर्थिक प्रक्रियाओं में अन्तर्निहित जटिलताओं को देखते हुए स्थिति पर नियंत्रण पाने का अधिक सुरक्षित उपाय यह है कि मुद्रा-पूर्ति में होने वाली वृद्धि के बारे में कार्रवाई की जाय। चालू वर्ष में सरकार ने ठीक यही किया है।

6.37 अभी हाल में, उद्योगों के कुछ वर्ग यह बहस करते रहे हैं कि ऋण नीति अनुचित रूप से प्रतिबन्धात्मक हो गयी है और इससे अर्थव्यवस्था में भारी आर्थिक शिथिलता आ जायगी। चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की अब तक की प्रवृत्तियों को देखते हुए और उनकी तुलना पिछले वर्ष की उसी अवधि की औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों से करते हुए यह धारणा नहीं बनती कि वृद्धि की दर सामान्य रूप से धीमी रही है। वास्तव में 1973-74 के मुकाबले 1974-75 में औद्योगिक वृद्धि की दर ऊंची रहने की संभावना है। निःसन्देह यह सच है कि हमारी औद्योगिक प्रणाली में काफी अतिरिक्त क्षमता है। किन्तु इसका बुनियादी कारण यह है कि उत्पादन के काम आने वाली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की लगातार कमी बनी हुई है और इसका इलाज बैंक ऋण में और तेजी से वृद्धि करके मांग को बढ़ाकर नहीं किया जा सकता। दर असल, ऋण देने के तंत्र को बहुत बड़े पैमाने पर उदार बनाने का कोई भी प्रयत्न वास्तविक उत्पादन में तदनुसार वृद्धि किये बिना बुनियादी स्फीतिकारी शक्तियों को सुदृढ़ करेगा जो इस समय भी बहुत मजबूत हैं। यदि इस तर्क को मान लिया जाय कि प्रत्येक उद्योग कीमतों में वृद्धि के अनुपात में अधिक मात्रा में ऋण पाने का हकदार है, तो इसका अर्थ यह होगा कि हमने मूल्यस्तर को स्थिर रखने की आशा लगभग छोड़ दी है। यदि सर्वसामान्य के उपयोग की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों और निर्यात जैसे क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना है, जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सके, तो अभी भी कुल मिलाकर नियंत्रण पर जोर दिया ही जाना चाहिए।

6.38 हाल ही में इस बात पर काफी चर्चा हुई है कि ऋण-योग्य धन को अन्य स्थानों की बजाय अधिकाधिकरूप से कम्पनियों के पास जमा कराया जा रहा है। खैर, कम्पनियों के पास जमा रकमों के ठीक-ठीक ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। निःसन्देह यह सच है कि इन जमा रकमों से उद्योगों को जो धन प्राप्त होता है वह न केवल बैंक-ऋण से सस्ता होता है, बल्कि उस पर सामाजिक नियंत्रण भी नहीं होता। इसलिए कम्पनियों के पास जमा रकमों से ऋण-नियंत्रण का प्रभाव कम हो जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिये रिजर्व बैंक ने हाल ही में निदेश दिया है कि निगमित क्षेत्र की ऐसी गैर-बैंकिग कम्पनियों को, जो अरक्षित ऋण के रूप में जमा रकमें स्वीकार करती हैं, चाहिए कि वे दिसम्बर, 1975 के अन्त तक इन रकमों को संचित घाटे को निकाल कर अपनी चुकता पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधि की 25 प्रतिशत की मौजूदा अधिकतम सीमा से कम कर उसके 15 प्रतिशत तक ले आयें।

6.39 चालू वर्ष में जमा करायी जाने वाली रकमों की वृद्धि की दर में होने वाली कमी से पता चलता है कि जिस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही हों तब ब्याज की दरों में थोड़ी सी वृद्धि करना लोगों को अपनी बचत वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में रखने के लिये प्रेरित करने की दिशा में प्रभावकारी सिद्ध नहीं होता। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए उपाय ढूढ़ने होंगे। इसके साथ ही जमा रकमों को मूल्यों के सूचक अंक के साथ जोड़ने का शास्त्र-विरुद्ध सुझाव भी ऐसी अर्थ व्यवस्था में व्यावहारिक नहीं है जहां स्फीतिकारी दबावों का बुनियादी कारण कृषि उत्पादन की गति का धीमा होना और हमारे व्यापार में ह्रास का होना है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि हम उसकी जड़ों पर प्रहार करें।